रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1967/फाल्गुन 13, 1888

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1967/PHALGUNA 13, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March 1967

No. RS.1/1/67-L.—The following Order by the President, dated the 4th March, 1967, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution and in supersession of my Order dated the 9th January, 1967, published in the Gazette of India by the Rajya Sabha Secretariat Notification No. RS.1/1/67-L, dated the 11th January, 1967, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Saturday, the 18th March, 1967, at New Delhi.

NEW DELHI;
The 4th March, 1967.

S. RADHAKRISHNAN,
President."

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1967

संख्या आर० एस० 1/1/67-एल—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 4 मार्च, 1967, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपने आदेश दिनांक 9 जनवरी, 1967 को, जो राज्य सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या आर० एस० 1/1/67-एल, दिनांक 11 जनवरी, 1967 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, अधिलंघित करते हुए, मैं एतद् द्वारा राज्य सभा को शनिवार, 18 मार्च, 1967 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

नई दिल्ली;
मार्च, 1967 ।

एस० राधाकृष्णन्,
राष्ट्रपति"

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967